

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-18
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100864

दिनांक: 21/07/2026

लोक सूचना

श्री JITENDRA SAINI पुत्र श्री POORAN MAL SAINI जाति MALI निवासी 57, PRATAP NAGAR, JHOTWARA, JAIPUR RAJ- 302012

श्री MANISH SAINI पुत्र श्री RAJENDRA SAINI जाति MALI निवासी 57, PRATAP NAGAR, JHOTWARA, JAIPUR RAJ- 302012

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	माच्छरखानी, जोबनेर (जयपुर)	2.) मनीष सैनी पुत्र राजेंद्र सैनी हिस्सा 1 / 2 जाति माली मकान संख्या 00 कॉलोनी जयपुरियों का बाड पीथावास क्षेत्र / स्थान सिरसी शहर जयपुर पिन कोड 302012 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार 1.) जितेन्द्र सैनी पुत्र पूरण मल सैनी हिस्सा 1 / 2 जाति माली मकान संख्या 57 कॉलोनी प्रताप नगर क्षेत्र / स्थान झोटवाड़ा शहर जयपुर पिन कोड 302012 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	2012/1612	1.96	1.96
कुल					1.96

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के

निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **21-07-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & PUNJAB KESARI

प्राधिकृत अधिकारी जोन-18
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

